GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Medical & Health (Group-2) Department

No. प.16(5)चिस्वा/2/99pt Jaipur, Dated: - 5 JUN 2013

NOTIFICATION

G.S.R.- In exercise of the power conferred by section 10 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby constitute the District Registering Authority for each district consisting of the following, namely:-

1. District Collector - Chairperson
2. Chief Medical & Health Officer - Convener
3. Superintendent of Police or it's Representative not below Deputy Superintendent - Member
4. One Member of Local Self Government to be selected by Chief Medical and Health Officer - Member
5. One Member Professional Association to be selected by Chief Medical and Health Officer - Member

By order of the Governor,

(Alpa Chaudhary)
Deputy Secretary to the Government

शासन उप सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

संख्या: प.16(5)चिस्वा/2/99pt जयपुर, दिनांकः - 5 JUN 2013

अधिसूचना

जी.एस.आर.– नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का इसके द्वारा, गठन करती है, अर्थात् :–

1.	जिला कलक्टर	–अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	–संयोजक
3.	पुलिस अधीक्षक या उसकी प्रतिनिधि जो उप अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो	–सदस्य
4.	स्थानीय स्वशासन का एक सदस्य जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चयनित किया जाये	–सदस्य
5.	वृत्तिक संगम का एक सदस्य जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चयनित किया जाये	–सदस्य

राज्यपाल के आदेश से,

(अल्पा चौधरी)
उप शासन सचिव
शासन उप सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Medical & Health (Group-2) Department

No. प.16(5)चिस्वा/2/99pt Jaipur, Dated: - 5 JUN 2013

NOTIFICATION

G.S.R.- In exercise of the power conferred by section 8 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby constitute the Rajasthan Sate Council for Clinical Establishments consisting of the following, namely:-

1.	Secretary Health-ex officio	-Chairman
2.	Director (Public Health) of Health Services- ex officio	-Member Secretary
3.	Director of Ayurveda Department - ex officio	-Member
4.	Director of Homeopathic Department - ex officio	-Member
5.	Director of Unani Department - ex officio	-Member
6.	One representative each to be elected by the Executive Committee of:	
	(i) Rajasthan Medical Council	-Member
	(ii) Rajasthan Dental Council	-Member
	(iii) Rajasthan Nursing Council	-Member
	(iv) Rajasthan Pharmacy Council	-Member
7.	One representative each to be elected by the Executive Committee of:	
	(i) Rajasthan Ayurveda, Council	-Member
	(ii) Rajasthan Sidha, Council	-Member
	(iii) Rajasthan Unani, Council	-Member

8. One representation to be elected by the State Council of the Indian Medical Association. -Member

9. One representative from the line of paramedical systems nominated by the State Government. -Member

10. Two representatives from State level consumer group or reputed non government organization working in the field of health nominated by the State Government. -Member

Note: (i) The nominated member of the State council shall hold office for a term of three years, but shall be eligible for re-nomination for maximum of one more term of three years.

(ii) The elected member of the State Council shall hold office for three years but shall be eligible for re-election.

By order of the Governor,

(Alpa Choudhary)
Deputy Secretary to the Government
शासन उप सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

संख्याः प.16(5)चिस्वा/2/99pt जयपुर, दिनांकः - 5 JUN 2013

अधिसूचना

जी.एस.आर.– नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली राजस्थान राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् का इसके द्वारा गठन करती है, अर्थात् :–

1. सचिव, स्वास्थ्य–पदेन —अध्यक्ष
2. निदेशक (लोक स्वास्थ्य) स्वास्थ्य सेवाएं–पदेन —सदस्य सचिव
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग–पदेन —सदस्य
4. निदेशक, होम्योपैथिक विभाग–पदेन —सदस्य
5. निदेशक, यूनानी विभाग–पदेन —सदस्य
6. निम्नलिखित की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित किये जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :–
   (i) राजस्थान चिकित्सा परिषद् —सदस्य
   (ii) राज्य दन्त चिकित्सा परिषद् —सदस्य
   (iii) राजस्थान नर्स परिषद् —सदस्य
   (iv) राजस्थान भेषजी परिषद् —सदस्य
7. निम्नलिखित की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित किये जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :–
   (i) राजस्थान आर्युवेद परिषद् —सदस्य
   (ii) राजस्थान सिद्ध परिषद् —सदस्य
   (iii) राजस्थान यूनानी परिषद् —सदस्य

8. भारतीय चिकित्सा संगम की राज्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि —सदस्य

9. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट परा–चिकित्सा पद्धतियों से एक प्रतिनिधि —सदस्य

10. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य स्तरीय उपभोक्ता समूहों या ख्यातिप्राप्त गैर–सरकारी संगठनों से दो प्रतिनिधि —सदस्य

टिप्पण : (i) राज्य परिषद् का नामनिर्देशित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, किन्तु वह अधिकतम तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिये पात्र होगा।

(ii) राज्य परिषद् का निर्वाचित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा किन्तु वह पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(अल्पा चौधरी)
उप शासन सचिव
शासन उप सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

12

PR R.N. Meena 941392
Ajay Jain 9460071

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 16, गुरुवार, शाके 1935–जून 6, 2013
Jyaistha 16, Thursday, Saka 1935–June 6, 2013

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 5, 2013

जी.एस.आर. 16 :– नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013 है।

(2) [redacted]

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, और

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित किया गया है।

3. राज्य परिषद् के कारबार का संचालन.– (1) धारा 8 के अधीन गठित राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायगी।

(2) राज्य परिषद् की बैठकें, ऐसी तारीखों पर, जो अध्यक्ष द्वारा नियत की जायें, सामान्यतः जयपुर में आयोजित की जायेंगी। राज्य परिषद् तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(2) प्राधिकरण, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को अनुदत्त करने से पूर्व कोई जांच नहीं करेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की कालावधि के भीतर प्ररूप–2 में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र आवेदक को अनुदत्त करेगा।

(3) प्राधिकरण, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर, दो स्थानीय समाचार पत्रों और प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसप्रकार अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापन की समस्त विशिष्टियां जिसमें नैदानिक स्थापन का नाम, पता, स्वामित्व, भारसाधक व्यक्ति का नाम, उपलब्ध औषध की पद्धति, उपलब्ध सेवाओं का प्रकार और प्रकृति और चिकित्सा कर्मचारिवृन्द (चिकित्सक, नर्स इत्यादि) के ब्यौरे सम्मिलित हैं, प्रकाशित करेगा।

6. **स्थायी रजिस्ट्रीकरण.**– (1) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या तो व्यक्तिशः या डाक द्वारा या वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप–3 में, आवश्यक जानकारी भर कर और नैदानिक स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए न्यूनतम मानकों और कार्मिकों की अपेक्षाएं रखने वाले साक्ष्य के साथ धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण को किया जायेगा।

(2) जैसे ही नैदानिक स्थापन विहित न्यूनतम मानकों का अनुपालन किये जाने के अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करता है, प्राधिकरण तीस दिन की कालावधि के भीतर जनसाधारण से आक्षेप आमंत्रित करते हुए, दो स्थानीय समाचार पत्रों में और प्राधिकरण की वेब साइट पर प्ररूप–4 में सूचना प्रकाशित करेगा। ऐसी सूचना में नैदानिक स्थापन का नाम, पता, स्वामित्व, भारसाधक व्यक्ति का नाम, उपलब्ध औषध की पद्धति, उपलब्ध सेवाओं का प्रकार और प्रकृति और चिकित्सा कर्मचारिवृन्द (चिकित्सक, नर्स, इत्यादि) के ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए नैदानिक स्थापन की समस्त विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी।

(3) यदि किसी व्यक्ति को नैदानिक स्थापन के संबंध में प्रकाशित सूचना पर कोई आक्षेप है तो वह प्राधिकरण को लिखित में कारण और आक्षेप या अननुपालन के साक्ष्य देगा।

(4) प्राधिकरण, नैदानिक स्थापन को प्राप्त आक्षेपों को, यदि कोई हों, पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर प्रत्युत्तर के लिए संसूचित करेगा।

7. सेवाओं के एक से अधिक प्रवर्ग के लिए आवेदन.– यदि नैदानिक स्थापन, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा यथा–वर्गीकृत एक से अधिक प्रवर्ग में सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है तो वह नैदानिक स्थापन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथक अनंतिम या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा। तथापि, यदि कोई प्रयोगशाला या निदान केन्द्र बाह्य रोगी/अंतरंग रोगी देख–रेख उपलब्ध करा रहे किसी नैदानिक केन्द्र का भाग है तो उसके लिए कोई पृथक रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नही होगा।

(2) नैदानिक स्थापनों में ऐसा प्रवेश और तलाशी ली जा सकेगी यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के बिना नैदानिक स्थापन चला रहा है या विहित न्यूनतम मानकों का पालन नहीं कर रहा है या यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि नैदानिक स्थापन का उपयोग उन प्रयोजनों, जिनके लिए वह रजिस्ट्रीकृत है, से भिन्न के लिए किया जा रहा है या इस अधिनियम और नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन हो रहा है।

(3) प्राधिकरण या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी या दल नैदानिक स्थापन को लिखित में निरीक्षण की तारीख और निरीक्षण के कारणों से सूचित करेगा और समस्त अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, नैदानिक स्थापन के लिए उपयोग में लिए जा रहे या उपयोग में लिए जाने के लिए प्रस्तावित परिसर का परीक्षण करेगा और उपस्करों, फर्नीचर और अन्य उपसाधनों का निरीक्षण करेगा और नियोजित या नियोजित किये जाने वाले तकनीकी कर्मचारिवृन्द की वृत्तिक अर्हताओं की जांच करेगा और ऐसी कोई अन्य जांच करेगा जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन में किये गये कथनों को सत्यापित करने के लिए वह आवश्यक समझे।

(4) निरीक्षण अधिकारी या, यथास्थिति, निरीक्षण दल निरीक्षण के सात दिन की कालावधि के भीतर, प्ररूप–8 में अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है तो वह निरीक्षण के सात दिन की कालावधि के भीतर राज्य परिषद् को प्ररूप–7 में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

17. शास्ति.– अधिनियम के अधीन धनीय शास्ति के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण जांच करेगा और सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। कोई जांच करते समय प्राधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुभिज्ञ किसी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जो प्राधिकरण की राय में जांच के लिए उपयोगी हो या उसकी विषय–वस्तु से सुसंगत हो, समन करेगा और हाजिर करायेगा और यदि ऐसी जांच पर प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने में असफल रहा है और धनीय शास्ति का दायी है तो वह आदेश द्वारा अधिनियम में विनिर्दिष्ट धनीय शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

18. अपीलें.– (1) प्राधिकरण के,–

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को अनुदत्त या नवीकृत करने से इन्कार करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रतिसंहरण करने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अनुसूची में यथा–विनिर्दिष्ट फीस के साथ, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य परिषद् को प्ररूप–8 में अपील फाइल कर सकेगा।

तालुका : ____________________ जिला : ____________________

राज्य : ____________________ पिन कोड : ____________________

दूरभाष सं. (एसटीडी कोड के साथ) : __________ मोबाइल : __________

ई-मेल पता : ____________________

3 क. भारसाधक व्यक्ति का नाम और अर्हताएं : ____________________

4. स्वामित्व

(क) पब्लिक सेक्टर : ☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार ☐ स्थानीय शासन ☐ पब्लिक सेक्टर उपक्रम ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : ____________________

(ख) प्राइवेट सेक्टर : ☐ व्यक्तिगत स्वामित्व ☐ रजिस्ट्रीकृत भागीदारी ☐ रजिस्ट्रीकृत कम्पनी ☐ सहकारी सोसाइटी ☐ न्यास ☐ पूर्त ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : ____________________

5. औषध की उपलब्ध पद्धतियां : (जो लागू हो उस पर चिह्न लगाएं) :
☐ ऐलोपैथी ☐ आयुर्वेद ☐ यूनानी ☐ सिद्ध ☐ होम्योपैथी ☐ योग और प्राकृतिक चिकित्सा

6. उपलब्ध करवायी गयी सेवाएं : (जो लागू हों उस पर चिह्न लगाएं)
☐ अंतरंग रोगी ☐ बाह्य रोगी ☐ प्रयोगशाला ☐ इमेजिंग केन्द्र ☐ कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : ____________________

(क) नैदानिक सेवाओं का प्रवर्ग : ☐ सामान्य ☐ एकल विशेषता ☐ बहु विशेषता ☐ सुपर विशेषता

7. स्थापन का प्रकार : (जो लागू हो उस पर चिह्न लगाएं)

(क) अंतरंग रोगी : ☐ अस्पताल ☐ परिचर्या गृह ☐ प्रसूति गृह ☐ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ☐ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ☐ सेनिटोरियम ☐ डे केयर सेन्टर

(ख) बिस्तरों की संख्या :

(ग) बाह्य रोगी : ☐ एकल व्यवसायी ☐ पॉलीक्लिनिक ☐ उप-केन्द्र ☐ फिजियोथेरेपी क्लिनिक ☐ व्यावसायिक चिकित्सा ☐ बाँझपन क्लिनिक ☐ दन्त क्लिनिक ☐ औषधालय ☐ डायलिसिस केन्द्र ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : ____________________

(घ) प्रयोगशाला : ☐ विकृति विज्ञान ☐ रुधिर विज्ञान ☐ जैव रसायन विज्ञान ☐ सूक्ष्म-जीवविज्ञान ☐ आनुवांशिकी ☐ संग्रहण केन्द्र ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : ____________________

(ङ) इमेजिंग केन्द्र : कृपया विनिर्दिष्ट करें : ____________________

जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
पता :
शिकायत की दशा में दूरभाष संख्यांक

प्ररूप–3
(नियम 6 देखिए)
नैदानिक स्थापनों के स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण सं. : ____________________
अनंतिम रजिस्ट्रीकरण जारी करने की दिनांक : ____________________
____________________ तक विधिमान्य

1. स्थापन/डॉक्टर का नाम (एकल व्यवसायी की दशा में) : ________
2. पता : ____________________
गांव/नगर : ____________________
तालुका : ____________ जिला : ____________
राज्य : ____________ पिन कोड : ____________
दूरभाष सं. (एसटीडी कोड के साथ) : ________ मोबाइल : ____
वेबसाइट (यदि कोई हो) : ____________________

3. स्वामी का नाम : ____________________
पता : ____________________
गांव/नगर : ____________________
तालुका : ____________ जिला : ____________
राज्य : ____________ पिन कोड : ____________
दूरभाष सं. (एसटीडी कोड के साथ) : ______ मोबाइल : ______
ई–मेल पता : ____________________

3 क. भारसाधक व्यक्ति का नाम और अर्हताएं : ____________

4. स्वामित्व
(क) पब्लिक सेक्टर : ☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार ☐ स्थानीय शासन ☐ पब्लिक सेक्टर उपक्रम ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन समस्त नियमों और घोषणाओं का पालन करूंगा। मैं वचन देता हूं कि ऊपर दी गयी विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में इसकी सूचना समुचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दूंगा। विस्तृत सूचना :— अनंतिम रजिस्ट्रीकरण जारी करने के पश्चात् निरीक्षण दल द्वारा कोई शिकायत और प्रतिकूल रिपोर्ट।
संलग्न : अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की फोटो प्रति

दिनांक और स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप–4
(नियम 6 देखिए)
सूचना
आक्षेप फाइल करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति का संप्रदर्शन

मैं ....नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन प्राधिकारी होते हुए, धारा 24 के अधीन दिनांक ....से.................... तक की कालावधि के दौरान प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के पश्चात्, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013 के उपबन्धों के समाधान के लिए.................................जिले की अधिकारिता के भीतर नैदानिक स्थापनों की सूची, इसके द्वारा प्रकाशित करता हूं :—

क्रम सं.	नैदानिक स्थापन का नाम और पता	स्वामित्व/प्रभारी	औषध की पद्धति	दिनांक जिसको आवेदन प्रस्तुत किया गया	प्रवर्ग और अनुपालन किये गये मानक

उपर्युक्त सूची के सम्बन्ध में आक्षेप, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 26 के अधीन यथा–अपेक्षित इस सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर

1. नैदानिक स्थापन का नाम : ______________________
2 पता : ______________________
3. नैदानिक स्थापन का स्वामी : ______________________
4. भारसाधक व्यक्ति का नाम : ______________________
5. औषध की पद्धति : ______________________
6. स्थापन का प्रकार : ______________________

को, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन, इसके द्वारा, स्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

यह प्राधिकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तद्धीन बने नियमों के अधीन प्रवृत्त नियमों में यथा–विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है।

जारी करने वाले प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और पदनाम (कम्प्यूटर जनित)
मुहर

स्थान और तारीख (कम्प्यूटर जनित)
जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
पता :
शिकायत की दशा में दूरभाष संख्यांक

प्ररूप–7
(नियम 16 देखिए)
निरीक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिये रूपविधान

तारीखों के साथ किये गये निरीक्षणों की संख्या
निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम और ब्योरे
निरीक्षण किये गये नैदानिक स्थापन का नाम
निरीक्षण किये गये नैदानिक स्थापन का पता और संपर्क ब्योरे
निरीक्षण के लिये अनुसरण की गयी प्रक्रिया (यथा कृपया बतायें किसके [illegible] [illegible] किया गया, कौन से अभिलेखों का परीक्षण किया गया, इत्यादि)
प्रमुख संप्रेक्षण / जांच परिणाम
निष्कर्ष
विनिर्दिष्ट सिफारिशें :
(1) नैदानिक स्थापन को
(2) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को

मैं व्यक्तिगत सुनवाई, यदि आवश्यक हो, के लिए आपके समक्ष उपस्थित होने के लिये रजामन्द हूं। मैं इसके साथ रू. 5000/- का ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूं।

स्थान :
दिनांक :

धन्यवाद,
हस्ताक्षर :
नाम :

अनुसूची
(नियम 11 देखिए)
प्रभारित की जाने वाली फीस

विवरण	नगरीय		ग्रामीण		महानगर	
	अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	स्थायी
बाह्य रोगी देखरेख	100	500	50	250	200	1000
अंतरंग रोगी देखरेख						
1 से 30 बिस्तर	100	500	50	250	200	1000
30 से 100 बिस्तर	200	1000	100	500	400	2000
100 बिस्तरों से अधिक	300	1500	150	650	600	3000
जांच और निदान						
प्रयोगशाला	200	1000	100	500	400	2000
नैदानिक और इमेजिंग केन्द्र	300	1500	150	650	600	3000

अन्य फीसें :

(i) नवीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम का आधा (अनंतिम/स्थायी)

(ii) विलम्बित आवेदन के लिए नवीकरण फीस के साथ रजिस्ट्रीकरण (अनंतिम/स्थायी) के नवीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख तक 100/-- रुपये प्रतिदिन की विलम्ब फीस प्रभारित की जायेगी।

(iii) प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए रकम 200/- रुपये होगी।

(iv) स्थापन के स्वामित्व प्रबंध और नाम के परिवर्तन के लिए रकम 100/- रुपये होगी।

(v) अन्य अपील के लिए रकम 5000/- रुपये होगी।

(3) The notice and agenda of every meeting of the State Council shall be circulated by the Member Secretary to each member of the State Council ordinarily seven days before the meeting.
(4) The Chairman may, at any time, at his discretion, convene a special meeting of the State Council at the shortest notice, normally not less than three days.
(5) One-third of the total number of members of the State Council shall form a quorum and all actions of the State Council shall be decided by a majority of the members present and voting.
(6) The proceedings of the meetings of the State Council shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated by the Chairman.
(7) A copy the minutes of each meeting of the State Council shall be submitted to the Chairman within seven days of the meeting and after having been approved by him/her shall be sent to each member of the State Council within fifteen days of the meeting. If no objection to their correctness is received within ten days, any decisions therein shall be given effect.

4. Conduct of business of District Registering Authority.
(1) Every meeting of the Authority, constituted under section 10, shall be presided over by the Chairperson.
(2) The notice and agenda of every meeting of the Authority shall be circulated by the Convener to each member of the Authority ordinarily seven days before the meeting.
(3) The Chairperson may, at any time, at his discretion, convene a special meeting of the Authority at the shortest notice, normally not less than three days.
(4) One-third of the total number of members of the Authority shall form a quorum and all actions of the Authority shall be decided by a majority of the members present and voting.
(5) The proceedings of the meetings of the Authority shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated by the Chairperson.
(6) A copy the minutes of each meeting of the Authority shall be submitted to the Chairperson by the Convener within seven days of the meeting and after having been attested by him shall be sent to each member of the Authority within fifteen days of the meeting. If no objection to their correctness is received within ten days, any decisions therein shall be given effect.

5. Provisional registration.- (1) The application for provisional registration shall be made to the Authority, constituted

section (1) of section 13 of the Act, it shall apply for a separate provisional or permanent registration for each category of services offered by the clinical establishment. However, if a laboratory or diagnostic center is a part of clinical establishment providing outpatient / inpatient care, no separate registration shall be required.

8. Acknowledgement of Application.- The Authority, constituted under section 10, or any officer/employee authorised by him, shall, acknowledge receipt of the application for grant/renewal of Provisional/Permanent registration, in the acknowledgement slip in Form-5, same day if submitted in person or not later than the next working day, if received by post and in case of online application, acknowledgement shall be generated automatically by the system.

9. Certificate of registration.- (1) The Authority shall grant the applicant a certificate of permanent registration in Form-6 either by post or electronically after satisfying itself that the applicant has complied with all the requirements and criteria, including provisions of minimum standards and personnel required to run the clinical establishment.

(2) In case of permanent registration, the Authority shall pass an order within the period allowed under section 29 of the Act,-

(a) allowing the application for permanent registration; or

(b) disallowing the application:

Provided that the authority shall record its justifications and reasons, if it disallows an application, for permanent registration.

10. Display of expired registration.- The Authority shall, within a period of fifteen days shall publish in two local newspapers and on the website of the Authority, the name of the clinical establishment whose Provisional or Permanent registration, as the case may be, has expired.

11. Fees to be charged.- (1) The various fees for provisional and permanent registration, renewal, late application, duplicate certificate, change of ownership, management or name of establishment shall be charged as specified in Schedule.

(2) The clinical establishments owned, controlled and managed by the Government (Central, State or Local Authority) or Department of Government, shall be exempted from payment of fees as mentioned in sub-rule (1).

(3) The fee shall be paid by a demand draft drawn / online

(3) The Government may notify from time to time, the nature of information that needs to be furnished by the clinical establishments including other disease notified for this purpose along with the prescribed interval.

16. Power to Enter.- (1) Entry and search of the clinical establishment may be made by the Authority or an officer or team duly authorised by it or subject to such general or special orders, issued by the Authority.

(2) Such entry and search of clinical establishments may be made, if anyone is carrying on a clinical establishment without registration or does not adhere to the prescribed minimum standards or has reasonable cause to believe that the clinical establishment is being used for purposes other than it is registered or contravenes any of the provisions of this Act and rules.

(3) The Authority or an officer or team duly authorised by it shall intimate the clinical establishment in writing about the date of visit and reasons for the inspection and shall examine all record, register, document, premises used or proposed to be used for the clinical establishment and inspect the equipments, furniture and other accessories and enquire into the professional qualifications of the technical staff employed or to be employed and shall make any such other enquires as they consider necessary to verify the statements made in the application for grant of certificate of registration.

(4) The inspecting officer or inspecting team, as the case may be, shall submit its report in Form-8, within a period of seven days of inspection, to the Authority, with a copy to the State Council. In case the inspection is made by the Authority, it shall submit inspection report within a period of seven days of inspection, to the State Council in Form-7.

17. Penalty.- For the purpose of adjudging monetary penalty under the Act, the Authority shall hold an inquiry and provide opportunity of being heard. While holding an inquiry the Authority shall summon and enforce the attendance of any person acquainted with the fact and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the Authority, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry and if, on such inquiry, the Authority is satisfied that the person has failed to comply with the provisions of the Act and liable for monetary penalty, it may by order impose the monetary penalty specified in the Act.

Website (if any): ____________________

3. Name of the owner: ____________________
Address: ____________________
Village/Town: ____________________
Taluka: ____________________ **District:** ____________________
State: ____________________ **Pin code** ____________________
Tel No (with STD code): ____________________ **Mobile:** ____________________
Email ID : ____________________

3a. Name of Person in charge and Qualifications: ____________________

4. Ownership

(a) Public Sector: ☐ Central government ☐ State government ☐ Local government ☐ Public Sector Undertaking ☐ any other (please specify): ____________

(b) Private Sector: ☐ Individual Proprietorship ☐ Registered Partnership ☐ Registered Company ☐ Co-operative Society ☐ Trust ☐ Charitable ☐ any other. (please specify): ____________

5. Systems of Medicine offered: (please tick whichever is applicable):

Allopathy ☐ Ayurveda ☐ Unani ☐ Siddha ☐ Homeopathy ☐ Yoga & ☐ Naturopathy

6. Services Provided: (please tick whichever is applicable)

Inpatient ☐ Outpatient ☐ Laboratory ☐ Imaging Centre ☐ any other (please specify): ________

(a) Category of Clinical Services: ☐ General ☐ Single Specialty ☐ Multi Specialty ☐ Super Specialty

7. Type of Establishment: (please tick whichever is applicable)

(a) Inpatient: ☐ Hospital ☐ Nursing Home ☐ Maternity Home ☐ Primary Health Centre ☐ Community Health Centre ☐ Sanatorium ☐ Day Care centre

(b) Number of Beds: ____________

is hereby provisionally registered under the provisions of Clinical Establishments (Registration and Regulation). Act 2010 and the Rules made there under.

This authorization is subject to the conditions as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration and Regulation). Act 2010 and the Rules made there under.

Designation & Signature
of the Issuing Authority *(Computer Generated)*

Place & Date: *(Computer Generated)*

District Registration Authority
Address:

Phone number in case of Grievances

Form –3
(See rule 6)

Application Form for Permanent Registration of Clinical Establishments

Provisional Registration No:_________________________
Date of issue of Provisional Registration:_______________
Valid up to: ____
1. **Name of the Establishment:** / Doctor (in case of single practitioner____________________

2.**Address:** ____
Village/Town:____________________________________
Taluka:____________________ District:______________
State: ____________________ Pin code______________
Tel.No (with STD code): Mobile:
Website (if any): ________________________
3. Name of the owner: ______________________________
Address: ____

I hereby declare that the statements above are correct and true to the best my knowledge and shall abide by all the rules and declarations under the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act 2010. I undertake that I shall intimate to the appropriate registering authority any change in the particulars given above.

Detail information:-Any complain and adverse report by inspection team after issue of Provisional Registration.

Enclosed: Photo copy of Provisional Registration.

Date & Place: Signature of the Authorized Signatory

Form -4

(See rule 6)

Notice

Display of registration status for filing objections

I, ...being the authority under the Clinical Establishments Act, 2010 after considering the applications received during the period; from.............. to .... under Section 24 satisfying the provisions of the Clinical Establishments (Registration & Regulation) Act, 2010 and the Clinical Establishments (Registration & Regulation) Rules, 2013 made theirunder, hereby publish the list of Clinical Establishments within the jurisdiction of ....district.

Serial no.	Name of Clinical Establishment with address	Ownership / In charge	System of medicine	Date on which application was submitted	Category of standards complied with

Objections if any, in writing to the above list may be addressed in duplicate to ....

Permanent Registration No: *(Computer Generated)*
Date of issue: *(Computer Generated)*
Valid up to: *(Computer Generated)*

1. Name of the Clinical Establishment: ____________________
2. Address: ____________________
3. Owner of the Clinical Establishment: ____________________
4. Name of Person in Charge: ____________________
5. System of Medicine : ____________________
6. Type of Establishment: ____________________

is hereby permanently registered under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act. 2010 and the Rules made there under.

This authorization is subject to the conditions as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act. 2010 and the Rules made there under.

Designation & Signature
of the Issuing Authority *(Computer Generated)*
SEAL

Place & Date: *(Computer Generated)*
District Registration Authority
Address:

Phone number in case of Grievances

Form –7
(See rule 16)

Format for Submission of Inspection Report

Number of visits made with dates

Names and details of members of the inspection team

Name of clinical establishment visited

Address and contact details of clinical establishment visited

Process followed for inspection (e.g. kindly outline who was met with, what records were examined, etc)

iii) That I am restrained from carrying on with the running of clinical establishment

iv) That I am charged with a penalty for an offence under the Act

v) Any other ....

The above decision of the district authority appears to be not valid. I request you to consider my application as per the justifications mentioned below:

i) ....

ii) ....

iii) ....

I am willing to appear before you for a personal hearing, if necessary. I am enclosing herewith a draft of Rs. 5000/-.

Thanking you,

Place: Signature:

Date: Name:

SCHEDULE

(See rule 11)

Fees to be Charged

Description	Urban Provisional	Urban Permanent	Rural Provisional	Rural Permanent	Metro Provisional	Metro Perma
Out Patient Care	100	500	50	250	200	100
In Patient Care:						
1 to 30beds	100	500	50	250	200	10(
30 to 100 beds	200	1000	100	500	400	20(
Above 400 beds	300	1500	150	650	600	30(
Testing & Diagnostic:						
Laboratories	200	1000	100	500	400	20(
Diagnostic & Imaging Centre	300	1500	150	650	600	30(

iii) That I am restrained from carrying on with the running of clinical establishment

iv) That I am charged with a penalty for an offence under the Act

v) Any other ……………………………………………………

The above decision of the district authority appears to be not valid. I request you to consider my application as per the justifications mentioned below;

i) ……………………………………………………………

ii) ……………………………………………………………

iii) ……………………………………………………………

I am willing to appear before you for a personal hearing, if necessary. I am enclosing herewith a draft of Rs. 5000/-

Thanking you,

Place:

Date:

Signature:

Name:

SCHEDULE

(See rule 11)

Fees to be Charged

Description	Urban Provisional	Urban Permanent	Rural Provisional	Rural Permanent	Metro Provisional	Metro Permanent
Out Patient Care	100	500	50	250	200	1000
In Patient Care:						
1 to 30beds	100	500	50	250	200	1000
30 to 100 beds	200	1000	100	500	400	2000
Above 100 beds	300	1500	150	650	600	3000
Testing & Diagnostic:						
Laboratories	200	1000	100	500	400	2000
Diagnostic &	300	1500	150	650	600	3000

Amendments in Notification

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 26, मंगलवार, शाके 1936–मार्च 17, 2015
Phalguna 26, Tuesday, Saka 1936–March 17,2015

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2015

जी.एस.आर. 63:– नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 1 का संशोधन.– राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 1 के उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''सरकार'' हटाई जायेगी।

3. नियम 7 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 7 में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के पश्चात्, निम्नलिखित अभिव्यक्ति जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

''आवेदन एकल खिड़की सामर्थ्यकारी प्रणाली के माध्यम से भी प्राप्त और निस्तारित किये जा सकेंगे।''

4. नियम 8 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 8 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्ररूप–5 में अभिस्वीकृति पर्ची'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्ररूप–5 में सम्यक् रूप से भरी हुयी अभिस्वीकृति पर्ची'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

करने/अनंतिम/स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्ररूप............में आवेदन प्राप्त किया गया तथा

पूर्ण

या

अपूर्ण

पाया गया।

यह अभिस्वीकृति आवेदक को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने या नवीकरण के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती है।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या समुचित प्राधिकरण के कार्यालय में के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदनाम।

जारी करने वाले प्राधिकारी का
पदनाम और हस्ताक्षर (कम्प्यूटर जनित)
मुहर

रसीद संख्यांक :
स्थान, तारीख और समय (कम्प्यूटर जनित)''

9. अनुसूची का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''अनुसूची
(नियम 11 देखिए)
प्रभारित की जाने वाली फीस

विवरण	नगरीय		ग्रामीण		महानगर	
	अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	स्थायी
बाह्य रोगी देखरेख	–	200	–	100	100	500
अंतरंग रोगी देखरेख						
1 से 30 बिस्तर	–	200	–	100	100	500
30 से 100 बिस्तर	100	500	50	250	200	1000
100 बिस्तरों से अधिक	200	1000	100	300	300	1500

Government Clinical Establishment (Registration and Regulation) Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Clinical Establishment (Registration and Regulation) (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 1.- In sub-rule (1) of rule 1 of the Rajasthan Government Clinical Establishment (Registration and Regulation) Rules, 2013, hereinafter referred to as the said rules, the existing expression "Government" shall be deleted.

3. Amendment of rule 7.- In rule 7 of the said rules, after the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the following expression shall be added, namely:-

"Applications may also be received and disposed off through signal window clearance system."

4. Amendment of rule 8.- In rule 8 of the said rules, for the existing expression "the acknowledgement slip in Form-5", the expression "the duly filled in acknowledgement slip in Form-5" shall be substituted.

5. Substitution of rule 10.- The existing rule 10 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**10. Information about expiry of registration.-** The Authority shall inform through notice published on web site of the Authority inform the clinical establishment about date of expiry of its Provisional or Permanent registration, as the case may be, Such information shall be published, in case of Provisional Registration Certificate thirty days before date of expiry and in case of Permanent registration six months before the date of expiry".

6. Amendment of rule 11.- After the existing sub-rule (3) of rule 11 of the said rules, the following new sub-rule (4) shall be added, namely:-

"(4) All tax and fee etc. imposed by the Government or any other local authority shall be paid by the Clinical Establishment and after establishment of Clinical Establishment, if any additional amount of tax or fees etc. is payable, the Authority shall coordinate in payment of such tax or fees etc."

7. Amendment of rule 15.- The existing sub-rule (3) of rule 15 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"(3) The State Government may notify, from time to time, the nature of information required to be furnished by the Clinical Establishments including other disease notified for this purpose.

"SCHEDULE
(See rule 11)

Fees to be Charged

Description	Urban Provisional	Urban Permanent	Rural Provisional	Rural Permanent	Metro Provisional	Metro Permanent
Out Patient Care	-	200	-	100	100	500
In Patient Care:						
1 to 30beds	-	200	-	100	100	500
30 to 100 beds	100	500	50	250	200	1000
Above 100 beds	200	1000	100	300	300	1500
Testing & Diagnostic:						
Laboratories	100	500	50	250	200	1000
Diagnostic & Imaging Centre	200	1000	100	300	300	1500

Other Fees:

(i) For Renewal half the amount of registration fee (Provisional / Permanent)

(ii) For Late Application, along with the renewal fee, Rs. 50/- per day late fee upto the date of filling application for renewal of the registration (Provisional / Permanent) shall be charged.

(iii) For Duplicate Certificate, the amount shall be Rs. 100/-.

(iv) For change of ownership, management or name of establishment shall be Rs. 100/-.

(v) For any appeal the amount shall be Rs. 1000/-.

Note: If a laboratory or diagnostic center is a part of a establishment providing outpatient / Inpatient care no separate registration is required.

[No. F. 16(5) चिस्वा/2/99पार्ट]

By Order of the Governor,

महावीर सिंह,

Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.